

## कुमाख गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७९

### प्रस्तावना :

कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम कुमाख गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : १. यस ऐनको नाम “कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।

२. यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गते देखि कुमाख गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

३. घर जग्गा वहालकर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि १ बमोजिम घर जग्गा वहालकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूचि २ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. सवारी साधन कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारी साधनहरुमा अनुसूचि ३ बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. विज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि ४ बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असूल उपर गरिनेछ । तर यसको बाँडफाँड प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

७. मनोरञ्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि ५ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ तर यसको बाँडफाँड प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

८. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाँला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरे वापत अनुसूचि ६ बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

९. बहाल बितौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका, सार्वजनिक ऐलानी पर्ति जग्गा वा भवनमा हाट बजार वा पसल, सडक वा बाटो किनार आदि जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग वापत अनुसूचि ७ मा उल्लेख भए बमोजिम बहाल बितौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. अन्य सेवा शुल्क : गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, पार्क, शौचालय, अचल सम्पति मूल्याङ्कन, लेनदेनको कारोबार वडा बाट प्रमाणित गराएमा सेवाग्राहीबाट अनुसूचि ८ मा उल्लेखित सेवा शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

११. खानी रोयल्टी बाट प्राप्त रकम : काठ, दाउरा र खानी जन्य वस्तुको विक्रीबाट गाउँपालिकाले तोकिए अनुसार अनुसूचि ९ बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर यसको बाँडफाँड प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१२. दर्ता तथा नविकरण दस्तुर : राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७ ले तोके बमोजिम अनुसूचि १० अनुसारको शुल्क तथा दस्तुर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३. सरकारी सम्पतिको वहालबाट प्राप्त आय : ब्याकुलोडर, एम्बुलेन्स भाडाबाट आउने अनुसूचि ११ मा उल्लेखित वहालबाट आय ।
१४. नाता प्रमाणित दस्तुर : गाउँपालिका बाट उपलब्ध गराउने नाता प्रमाणित सिफारिश वापत अनुसूचि १२ बमोजिमको दस्तुर लिईनेछ ।
१५. नक्शापास दस्तुर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा गाउँपालिकाले तोके बमोजिम अनुसूचि १३ अनुसारको दस्तुर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१६. सिफारिश दस्तुर : गाउँपालिकाले उपभोग मापन गर्न सकिने सेवा सुविधाहरु (निजी वस्तुहरु) उपलब्ध गराए वापत गाउँपालिकाले तोके अनुसार अनुसूचि १४ मा उल्लेखित दरमा सेवाग्राहीबाट दस्तुर लिईनेछ ।
१७. घरकर र भुमिकर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि १५ मा व्यवस्था भएबमोजिम घर कर र भुमिकर (मालपोत) लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१८. अन्य राजस्व विविध आय : गाउँपालिका तथा वडाबाट सेवा प्रवाह गर्दा गाउँपालिकाले तोके अनुसार अनुसूचि १६ मा उल्लेखित दरमा सेवाग्राहीबाट दस्तुर लिईनेछ ।
१९. कर छुट : कुमाख गाउँपालिकाले अनुसूचि १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम करमा सहूलियत वा छुट दिन सक्नेछ ।
२०. दण्ड जरिवाना : ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डले तोके अनुसार हुनेछ ।
२१. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यको हकमा यस ऐन संग नबाभिने गरी कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धमा कार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरी लागु गर्न सक्नेछ ।
२२. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर, दस्तुर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । उल्लेख नभएका विषयको हकमा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम हुनेछ ।

अनुसुची-१  
(दफा ३ सँग सम्बन्धित)  
वहाल कर:-

| सि.नं. | विवरण  | रकम |
|--------|--|-----|
| १.     | संस्थगत घर वा जग्गा भाडाको धनीबाट वहाल रकमको   | १०% |
| २      | व्यक्तिगत घर वा जग्गा भाडाको धनीबाट वहाल रकमको | ५%  |

अनुसुची-२  
(दफा ४ सँग सम्बन्धित)  
व्यवशाय कर:-

| क्र.सं. | व्यवसायको किसिम व्यापारिक वस्तु | वार्षिक कर |        |
|---------|---------------------------------|------------|--------|
|         |                                 | क वर्ग     | ख वर्ग |
| १       | किराना /खाद्यन्न                | १०००       | ७५०    |
| २       | कोल्ड स्टोस (मदिरा वाहेक)       | १०००       | ७५०    |
| ३       | मदिरा पसल                       | १००००      | ५०००   |
| ४       | इलेक्ट्रोनिक पसल                | १०००       | ७५०    |
| ५       | इलेक्ट्रोनिक पसल मर्मत          | ७५०        | ५००    |
| ६       | कस्मेटिक पसल                    | ३०००       | १०००   |
| ७       | रेडिमेड/फेन्सी                  | १२००       | १०००   |
| ८       | कपडा पसल                        | १५००       | १०००   |
| ९       | टेलर्स                          | १०००       | ७५०    |
| १०      | सिलाई/कपडा सहीत                 | १५००       | १०००   |
| ११      | होटल एण्ड लज                    | ३०००       | १०००   |
| १२      | रेस्टुरेण्ट/क्याफे              | १०००       | ५००    |
| १३      | खाजा घर,                        | १०००       | ५००    |
| १४      | डेरी उद्योग                     | १०००       | ५००    |
| १५      | दुध दही पसल                     | १०००       | ५००    |
| १६      | चिया नास्ता पसल                 | १०००       | ५००    |
| १७      | मिठाई पसल                       | १०००       | ५००    |
| १८      | फलफुल, पसल                      | १०००       | ५००    |
| १९      | तरकारी पसल                      | १०००       | ५००    |
| २०      | मासु जन्य पसल                   | १०००       | ७५०    |
| २१      | माछा पसल                        | १०००       | ७५०    |
| २२      | म:म पसल                         | १०००       | ७५०    |
| २३      | फोटो स्टुडियो                   | १२००       | ७५०    |
| २४      | ज्वेलरी पसल                     | २०००       | १२००   |
| २५      | निजी अस्पताल                    | ३०००.०     | १५००   |
| २६      | सवै किसिमका औषधी पसल            | २५००       | १०००   |
| २७      | स्वास्थ्य क्लिनिक               | १०००.०     | ७५०.०  |
| २८      | आयुर्वेदीक क्लिनिक              | १०००.०     | ७५०.०  |
| २९      | जडीबुटी खरिद विक्री केन्द्र     | ७५०        | ५००    |
| ३०      | डेण्टल क्लिनिक                  | १०००       | ७५०    |
| ३१      | भाँडा पसल                       | १२००       | ८५०    |
| ३२      | जुता पसल                        | १०००       | ७५०    |
| ३३      | प्लास्टिक जन्य वस्तु विक्री पसल | १०००       | ७५०    |

|    |  |        |       |
|----|--|--------|-------|
| ३४ | स्टेशसनरी तथा पुस्तक पसल   | १०००   | ७५०   |
| ३५ | छापाखाना   | २५००   | १५००  |
| ३६ | सप्लायर्स  | २०००   | १०००  |
| ३७ | ब्युटि पार्लर  | १०००   | ५००   |
| ३८ | शैलुन  | १०००   | ५००   |
| ३९ | वेकरी उद्योग   | १२००   | १०००  |
| ४० | मसला उद्योग  | ७५०    | ५००   |
| ४१ | चाउमिन उद्योग  | १०००   | ७५०   |
| ४२ | स्टील फर्निचर  | १५००   | १०००  |
| ४३ | काष्ठकला / फर्निचर उद्योग  | २०००   | १०००  |
| ४४ | ग्रील पसल  | १२००   | १०००  |
| ४५ | इटा बालुवा डिपो  | १५००   | १०००  |
| ४६ | स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग गरि संचालित इटा उद्योग                | ६०००.० | ३०००  |
| ४७ | बालुवा, ढुङ्गा जस्ता खानी जन्य पदार्थ प्रसोधन गर्ने क्रसर उद्योग | १५०००  | १०००० |
| ४८ | ब्लक उद्योग  | १५००   | १०००  |
| ४९ | ढुवानी सेवा  | ३०००   | १५००  |
| ५० | पेट्रोलियम पदार्थ  | ५०००   | ३०००  |
| ५१ | हार्डवेयर  | १५००   | १०००. |
| ५२ | पेन्टर, र पेन्टिङ्ग आदि  | ७५०    | ५००   |
| ५३ | आर्ट   | ७५०    | ५००   |
| ५४ | कम्प्युटर इप्टिच्युट   | १५००   | १०००  |
| ५५ | इन्टरनेट सेवा  | १०००   | ५००   |
| ५६ | कम्युनिकेसन  | २०००   | १२००  |
| ५७ | केबुल संचालन   | १००००  | ७०००  |
| ५८ | होस्टल   | ११००   | ७५०   |
| ५९ | टेन्ट हाउस   | १०००   | ५००   |
| ६० | दाना/चल्ला   | १०००   | ५००   |
| ६१ | पोल्ट्री फर्म  | १३००   | ११००  |
| ६२ | भाषा प्रशिक्षण   | १५००   | १२००  |
| ६३ | तालिम केन्द्र तथा अन्य शैक्षिक सेवा                              | ५०००   | ३०००  |
| ६४ | ग्याँस विक्रेता डिलर   | १०००   | ७५०   |
| ६५ | बीमा अभिकर्ता  | १०००   | ७५०   |
| ६६ | वर्कशप   | ७५०    | ५००   |
| ६७ | गाडी,टयाक्टर तथा मोटर साइकल मर्मत                                | १६५०   | १२००  |
| ६८ | टायर मर्मत तथा हावा भर्ने  | ७५०    | ५००   |
| ६९ | कवाडी पसल  | १०००.० | ७५०.० |
| ७० | निर्माण व्यवसाय घ वर्ग   | ३०००   |       |
| ७१ | कृटानी मिल   | ५००    |       |
| ७२ | कृटानी,पिसानी मिल  | १०००   |       |
| ७३ | कृटानी,पिसानी,पेलानि मिल   | १५००   |       |
| ७४ | ३ महिना सम्म सञ्चालन हुने घट्टु                                  | २००    |       |
| ७५ | ६ महिना सम्म सञ्चालन हुने घट्टु                                  | ४००    |       |
| ७६ | १२ महिना सम्म सञ्चालन हुने घट्टु                                 | ८००    |       |
| ७७ | कानून व्यवसाय  | १५००   |       |
| ७८ | लेखापढी, व्यवसाय   | १०००   |       |
| ७९ | इन्जिनियरिङ्ग तथा कन्सलटेन्सी सेवा                               | ७०००   |       |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| ८०   | विमा कम्पनी                                | ५०००  |
| ८१   | क वर्गको बैक                               | १०००० |
| ८२   | ख वर्गको बैक                               | ८०००  |
| ८३   | लघुवित्त बैक                               | ५०००  |
| ८४   | राष्ट्रिय सहकारी बैक                       | ८०००  |
| ८५   | एफएम, रेडियो                               | ३०००  |
| ८६   | निजी बोर्डिङ्ग स्कुल :-                    | ५०००  |
|  | क. मा.वि.                                  | ३०००  |
|  | ख. आधारभुत                                 | १५००  |
|  | ग. पूर्व प्राथमिक                          | १०००  |
| ८७   | बहुउद्देश्यीय सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारी : | ३०००  |
|  | (क) सहकारी संस्था लि.रु १ देखी १ करोड सम्म | ५०००  |
|  | (ख) १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म              | ७०००  |
|  | (ग) ५ करोड भन्दा माथिको कारोबारमा          |       |
| नोट :- व्यवसाय कर प्रयोजनको लागि वार्षिक रु.१ लाख देखि १० लाख सम्मको कारोबारमा ख वर्ग १० लाख १ देखि रु.३५ लाख सम्मको कारोबारमा क वर्ग कायम गर्ने । |  |       |

अनुसूची-३  
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)  
सवारी साधन कर (वार्षिक):-

| क्र.स. | सवारी साधनको नाम     | सवारी साधन सुचिकृत तथा नविकरण शुल्क |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| १      | मोटरसाईकल            | १००१-                               |
| २      | कार ,जिप ,भ्यान      | १०००१-                              |
| ३      | ट्रयाक्टर            | ७५०१-                               |
| ४      | बस मिनी ट्रक         | १२००१-                              |
| ५      | बस ,ट्रक             | १५००१-                              |
| ६      | जे.सि.वि.टायरवाला    | ३,०००१-                             |
| ७      | हेभी,गाडी,डोजर क्रेन | ५,०००१-                             |
| ८      | अटो रिक्सा           | ५००१-                               |

अनुसूची-४  
(दफा ६ सँग सम्बन्धित)  
विज्ञापन कर (वार्षिक):-

| सि.न.  | विवरण   | रकम रु |
|--|---|--------|
| १  | व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सार्वजनिक स्थल, सडक छेउमा राखिएको होडिङ्ग बोर्ड भित्तेलेखन आदिमा प्रतिवर्ग फुट | ५०१-   |
| २  | तुल, ब्यानर आदिमा एक पटकको लागि प्रति वर्गफुट   | २०१-   |
| नोट: विज्ञापन कर असुल गर्दा आफ्नो पसल चिनाउने उद्देश्यले राखिएको व्यवसायको पसल/भवन भित्र राखिएको ब्यानर वा सूचना बोर्डमा वा स्थानीय व्यवसायको हितका लागि गरिएको जानकारीमूलक सूचनामा यस अनुसूचि वमोजिम विज्ञापन कर लाग्ने छैन। यदि त्यसमा कुनै उत्पादन कम्पनी वा अन्य कुनै विज्ञापन सामाग्री समावेश भएको अवस्थामा विज्ञापन सामाग्री रहेको हदसम्म यस अनुसूचि वमोजिम कर लाग्नेछ । |   |        |

अनुसुची-५  
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)  
मनोरञ्जन कर :-

| सि.न.   | विवरण   | रकम रु |
|---|---|--------|
| १   | गाउँपालिका भित्र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि गरिने विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमा विक्री भएको टिकट रकमको | ५%     |
| नोट: मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विज्ञापन कर पनि लाग्ने भएमा छुट्टै रुपमा तिर्नु पर्नेछ । |   |        |

अनुसुची-६  
(दफा ८ सँग सम्बन्धित)  
जडिबुडी, कवाडी र जिवजन्तु कर :-

| सि.न.             | नाम   | इकाई                         | हाल कायम भएको मुल्य रु |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------|
| जराजाति           |   |                              |                        |
| १                 | वन लसुन   | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| २                 | काकोली  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ३                 | बोभो  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ४                 | कुरीलो  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ५                 | अन्य नाम नखुलेको जराजाति  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| काठको बोक्रा जाति |   |                              |                        |
| १                 | नेपाली दालचिनी  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| २                 | चुत्रोको बोक्रा   | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ३                 | काउलो   | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ४                 | अन्य नाम नखुलेको बोक्रा जाति  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| पतजाति            |   |                              |                        |
| १                 | तेज पात   | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| २                 | मसला  | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| ३                 | अन्य नाम नखुलेको पात जाति   | प्रति के.जी.                 | २१-                    |
| फल र विज जाति     |   |                              |                        |
| १                 | टिम्बुर   | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| २                 | पाङ्गो  | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| ३                 | ओखर   | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| ४                 | रिठ्ठु/हरा/वरो /अमला  | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| ५                 | वन करेलाको वियाँ  | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| ६                 | सालको वियाँ   | प्रति के.जि                  | २१-                    |
| ७                 | वनकस (खर), बावियो ,महलन पत्ता, छवाली, पराल वगास, निगालो, लोक्ता, पटेर अमरिसो कुचो | प्रति ट्याक्टर<br>प्रति ट्रक | १००१-<br>३००१-         |
| ८                 | खोटो  | प्रति के.जी.                 | ११                     |

पशुजन्य तर्फ:-

| सि.न. | नाम           | इकाई       | हाल कायम भएको मुल्य रु |
|-------|---------------|------------|------------------------|
| १.    | हाँस/कुखुरा   | प्रति गोटा | ५१                     |
| २.    | खसी/बाख्रा    | प्रति गोटा | ५०१-                   |
| ३.    | राँगा/गोरु    | प्रति गोटा | १००१-                  |
| ४.    | सुँगुर/बुँगुर | प्रति गोटा | ६०१-                   |

पुनः प्रयोग गरी (रियूज) गर्ने देहाय वमोजिमका वस्तुमा देहाय वमोजिमको करको दर :

| सि.न. | नाम  | इकाई         | हाल कायम भएको मुल्य रु |
|-------|--|--------------|------------------------|
| १     | खाली सिसि (वियर) बोटलको साइज हेरी                                    | प्रति गोटा   | ००।३०                  |
| २     | खाली सिसि (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथि                       | प्रति गोटा   | ००।१०                  |
| ३     | खाली सिसि (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा तल                         | प्रति गोटा   | ००।०५                  |
| ४     | प्लाष्टिक (बोटल, भाँडाकुडा, पुराना जुता, चप्पल, ग्यालिन र जर्कन आदि) | प्रति के.जी. | ००।३०                  |
| ५     | खाली बोरा  | प्रति गोटा   | ००।१०                  |
| ६     | ५० के.जी. सम्म अटने जुटका बोरा                                       | प्रति गोटा   | ००।१५                  |
| ७     | १०० के.जी. सम्म अटने जुटका बोरा                                      | प्रति गोटा   | ००।२०                  |
| ८     | तेलको टिन १० लिटर भन्दा बढी अटने                                     | प्रति गोटा   | ००।२०                  |
| ९     | तेलको टिन १० लिटर भन्दा कम अटने                                      | प्रति गोटा   | ००।१०                  |

पुनः प्रशोधन (रिसाइकलिङ्ग) गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने कवाडी मालसामानहरुको करको दर :

| सि.न. | नाम  | इकाई   | हाल कायम भएको मुल्य रु |
|-------|--|--|------------------------|
| १     | भ्रिण्डु (प्राकृतिक र कृत्रिम उनका टुक्रा)   | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| २     | गामेन्ट कपडाको टुक्रा  | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| ३     | जलेको मोविल  | प्रति लिटर                                   | २।-                    |
| ४     | जुट र प्लाष्टिकका बोरा   | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| ५     | कार्पेटका टुक्रा   | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| ६     | टायर ट्युब   | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| ७     | थोत्रो टिन   | प्रति के.जी.                                 | ००।२०                  |
| ८     | पुरानो ड्रम  | प्रति के.जी.                                 | ००।१५                  |
| ९     | पुरानो कागज अखबार (न्यूज प्रिन्ट)<br>अन्य कागज (कार्टुन समेत)  | प्रति के.जी.<br>प्रति के.जी.                 | ००।२५<br>००।३०         |
| १०    | धातुका टुक्राहरु र पत्रभइ काम नलाग्ने सामानहरु<br>फलाम अन्य धातु (पित्तल, तामा आदि)<br>थोत्रियर काम नलाग्ने मेशिन औजार | प्रति के.जी.<br>प्रति के.जी.<br>प्रति के.जी. | ००।३०<br>१।-<br>००।५०  |
| ११    | पोलिथिन पाइपका टुक्राहरु   | प्रति के.जी.                                 | ००।२०                  |
| १२    | सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा   | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |
| १३    | काँचको धुलो र टुक्रा   | प्रति के.जी.                                 | ००।२०                  |
| १४    | प्रचलित कानूनले निषेध गरेका बाहेकका अन्य सामानहरु  | प्रति के.जी.                                 | २।-                    |

अनुसुची-७

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

वहाल विटौरी कर (मासिक) :-

| सि.न. | विवरण  | मुल्य रु. |
|-------|--|-----------|
| १     | कुमाख गा.पा.सिमाना भित्रको क्षेत्र चोरपानि बजार,मौलोहाले बजार,चिसापानि,रागेचौर,स्यानिपिप्ली,शान्तिबजार,घाटाचौर,थदरा,कोर्ति र स्वीकोट नेताबजारमा प्रति वर्गमिटर                 | १५।       |
| २     | कुमाख गा.पा.सिमाना भित्रको क्षेत्र चोरपानि बजार,मौलोहाले बजार,चिसापानि,रागेचौर,स्यानिपिप्ली,शान्तिबजार,घाटाचौर,थदरा,कोर्ति र स्वीकोट नेताबजार बाहेक अन्य ठाउँमा प्रति वर्गमिटर | १०।-      |

हाटबजार विटौरी कर

| सि.न. | विवरण                                   | रकम रु. |
|-------|---|---------|
| १     | मिठाई पकाई विक्री गर्ने दोकान १ को      | ५०.००   |
| २     | मनोरञ्जन देखाउने दोकान १ को             | २००.००  |
| ३     | लत्ता कपडा पसल १ को                     | १००.००  |
| ४     | मिठा सखर दोकान १ को                     | ३०.००   |
| ५     | किराना पसल १ को                         | १००.००  |
| ६     | भाडाकुडा पसल १ को                       | २००.००  |
| ७     | औठी लगायत धातुका गहना पसल १ को          | ५०.००   |
| ८     | चुरा तथा मनिहरा पसल १ को                | ५०.००   |
| ९     | जुत्ता ,चप्पल पसल १ को                  | १००.००  |
| १०    | चटपट्टे पसल १ को                        | ५०.००   |
| ११    | सटरमा पसल राख्ने पसल १ को               | १५०.००  |
| १२    | बरफ पसल १ को                            | ३०.००   |
| १३    | विरुवा तथा वेर्ना विक्रेता पसल १ को     | ३०.००   |
| १४    | खाजा/ नास्ता पसल १ को                   | ५०.००   |
| १५    | माथि उल्लेख नभएको अन्य किसिमका पसल १ को | ५०.००   |

अनुसूची-८  
(दफा १० सँग सम्बन्धित)  
अन्य सेवा शुल्क :-

| सि.न. | विवरण  | रकम रु.                                |
|-------|--|--|
| १     | फिराद- पत्र/प्रतिउतर -पत्र -न्यायीक समितिमा) दर्ता दस्तुर        | १००।-                                  |
| २     | व्यक्तिको लेन/देनको कारोवार बडा बाट प्रमाणित गर्दा: २ लाख सम्मको | ५००।-                                  |
|       | रु.२ लाख १ देखी ५ लाख सम्मको                                     | १०००।-                                 |
|       | रु.५ लाख १ देखी १० लाख सम्मको                                    | १५००।-                                 |
|       | रु. १० लाख माथिकोमा  | २५००।-                                 |
| ३     | साँध सीमाना छुट्याउने पहिलो कित्ताको लागि                        | ५००।- त्यसपछि प्रति कित्ता थप रु. ३००। |



अचल सम्पत्ति आय श्रोत प्रमाणित

| सि.न.   | विवरण                       | रकम रु  |
|---|-----------------------------|---------|
| १   | २ लाख सम्मको लागि           | ५००१-   |
| २   | २ लाख १ देखि १० लाख सम्मका  | १०००१-  |
| ३   | १० लाख १ देखि २० लाख सम्मका | २०००१-  |
| ४   | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म   | ५०००१-  |
| ५   | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म   | ८०००१-  |
| ६   | १ करोड देखि २ करोड सम्म     | १००००१- |
| ७   | २ करोड भन्दा माथि           | १५०००१- |
| (अध्ययन प्रयोजनको लागि विद्यार्थीलाई ५०% छुट दिईनेछ।) |                             |         |

योजना तथा कार्यक्रम सम्भौता सेवा शुल्क

| सि.न. | विवरण                       | रकम रु  |
|-------|-----------------------------|---------|
| १     | १ लाख सम्मको                | १००१-   |
| २     | १ लाख देखि ५ लाख सम्मको     | ५००१-   |
| ३     | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्मको  | १०००१-  |
| ४     | १० लाख १ देखि २० लाख सम्मको | २०००१-  |
| ५     | २० लाख १ देखि ३० लाख सम्मको | ३०००१-  |
| ६     | ३० लाख १ देखि ४० लाख सम्मको | ४०००१-  |
| ७     | ४० लाख १ देखि ५० लाख सम्मको | ५०००१-  |
| ८     | ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्मको | ६०००१-  |
| ९     | ६० लाख १ देखि माथि          | १००००१- |

अनुसूची-९

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

खानी रोयल्टीबाट प्राप्त कर :-

| सि.न.  | विवरण  | प्रति घ.मी.रकम रु मा |
|--|--|----------------------|
| १  | ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विक्री तथा निकासी  | १५०                  |
| २  | माटो (स्वीकृत खनीक्षेत्र बाहेकमा)  | ५०                   |
| ३  | दहत्तर बहत्तर सामाग्रीको विक्री मूल्यमा लाग्ने शुल्क   | १० प्रतिशत           |
| ४  | ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खोलाबाट चोरी निकासी गरेको पाईएका प्रति ट्याक्टर जरिवाना                        | रु.१०००१-            |
| ५  | ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खोलाबाट चोरी निकासी गरेको पाईएका प्रति मिनी ट्रककोजरिवाना                      | रु.२०००१-            |
| ६  | ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खोलाबाट चोरी निकासी गरेको पाईएका प्रति छ चक्के ड्रमट्रकको जरिवाना              | रु.३०००१-            |
| ७  | ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खोलाबाट चोरी निकासी गरेको पाईएका प्रति छ चक्के भन्दा माथिको ड्रमट्रकको जरिवाना | रु.४०००१-            |
| ८  | चारपाग्रे भ्याक्लोडरको जरिवाना   | रु.२५००१-            |
| ९  | फलामको चेन भएको एस्काभेटरको जरिवाना  | रु.३०००१-            |
| पटकेको हकमा शुरु जरिवाना रकममा थप जरिवाना ५० प्रतिशत |  |                      |

दाउरा काठबाट प्राप्त कर

| सि.न. | विवरण              | प्रति चट्टा रकम रु मा   |
|-------|--------------------|-------------------------|
| १     | सालको दाउरा        | २०००।                   |
| २     | अन्य कुकाठको दाउरा | १०००।                   |
| सि.न. | विवरण              | प्रति ब्युफिट रकम रु मा |
| १     | खयरको काठ          | २००।-                   |
| २     | सालको काठ          | १००।                    |
| ३     | अन्य कुकाठ         | ५०।                     |

अनुसुची-१०

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर :-

| सि.न. | विवरण  | रकम रु मा         |
|-------|--|-------------------|
| १     | ३५ दिन भित्रको घटना दर्तामा                    | दस्तुर निःशुल्क   |
| २     | व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क            | २०० दस्तुर लाग्ने |
| ३     | व्यक्तिगत घटना दर्ताप्रमाण पत्रको नक्कल दस्तुर | ५०० दस्तुर लाग्ने |

अनुसुची-११

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

सरकारी सम्पतिको वहालबाट प्राप्त आय:-

| सि.न. | विवरण         | रकम रु मा                  |
|-------|---------------|----------------------------|
| १     | व्याक हो लोडर | जिल्ला दररेट अनुसार        |
| २     | एम्बुलेन्स    | कार्यपालिकाको निर्णयानुसार |

अनुसुची-१२

(दफा १४ सँग सम्बन्धित)

| सि.न. | विवरण   | दर      | कैफियत                           |
|-------|---|---------|----------------------------------|
| १     | नाता प्रमाणित पहिलो व्यक्ति (स्वदेश प्रयोजनको लागी) | १५०।-   | थप प्रति व्यक्ति रु.५०।-का दरले  |
| २     | नाता प्रमाणित पहिलो व्यक्ति (विदेश प्रयोजनको लागी)  | १,०००।- | थप प्रति व्यक्ति रु.१००।-का दरले |

अनुसुची-१३

(दफा १५ सँग सम्बन्धित)

नक्सापास दस्तुर (सवै प्रकारको भवन) :-

| सि.न. | भवनको प्रकार               | प्रति वर्ग फिट रु मा |
|-------|----------------------------|----------------------|
| १     | पक्की भवन (आर.सी.सी.) भएको | ८।-                  |
| २     | कच्ची भवन                  | २.५।-                |

जरिवाना (नयाँ निर्माण)

| सि.न. | विवरण   | रकम                   |
|-------|---|-----------------------|
| १     | जगको कार्य सम्पन्न  | नक्सापास दस्तुरको ५%  |
| २     | डि.पि.सि.को कार्य सम्पन्न                                     | नक्सापास दस्तुरको १०% |
| ३     | गाह्रो लगाउने कार्य सम्पन्न                                   | नक्सापास दस्तुरको १०% |
| ४     | ढलानको कार्य सम्पन्न  | नक्सापास दस्तुरको १५% |
| ५     | निर्माण कार्य सम्पन्न   | नक्सापास दस्तुरको २०% |
| ६     | नक्सापास गरेर म्याद भित्र भवन निर्माण नगरी म्याद थप गर्न आएमा | नक्सापास दस्तुरको १०% |

नोट :- उल्लेखित जरिवाना निर्माण भएको तल्लाको आधारमा लिईनु पर्नेछ ।

(तला थपमा)

| सि.न.  | विवरण                       | रकम                   |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| १  | गाह्रो लगाउने कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको १०% |
| २  | ढलानको कार्य सम्पन्न        | नक्सापास दस्तुरको १५% |
| ३  | निर्माण कार्य सम्पन्न       | नक्सापास दस्तुरको २०% |
| नोट :- उल्लेखित जरिवाना निर्माण भएको तल्लाको आधारमा लिईनु पर्नेछ । |                             |                       |

अनुसुची-१४

(दफा १६ सँग सम्बन्धित)

सिफारीस दस्तुर :-

| सि.न. | विवरण   | रकम     |
|-------|---|---------|
| १     | नागरिकता सिफारिश  | निशुल्क |
| २     | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश                              | निशुल्क |
| ३     | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस                                | १०००    |
| ४     | भारत जाने सिफारिस                                       | १००     |
| ५     | नागरीकता बाहेकको मुचुल्का दस्तुर                        | २००     |
| ६     | अन्य मुलुक जाने सिफारिस                                 | ५००     |
| ७     | नाम, थर संशोधन सिफारिस                                  | २००     |
| ८     | विद्युत जडान सिफारिस घरायसी                             | ३००     |
| ९     | विद्युत जडान सिफारिस उद्योग                             | १५००    |
| १०    | उद्योग दर्ता सिफारिस                                    | ५००     |
| ११    | बसोबास प्रमाणित सिफारिस                                 | ५००     |
| १२    | चार किल्ला प्रमाणित पहिलो कित्ता                        | ३००     |
| १३    | चार किल्ला प्रमाणित पछि थप प्रति कित्ता                 | ५०      |
| १४    | नावालक सिफारीस  | १००     |
| १५    | अविवाहित प्रमाणित सिफारिस                               | १००     |
| १६    | जन्ममिति/विवाह प्रमाणित सिफारिस                         | १००     |
| १७    | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित सिफारिस                        | २००     |
| १८    | नामसारी सिफारिस   | १०००    |
| १९    | पलटिड ईजाजत प्रति रोपनि                                 | २०००    |
| २०    | घर कायम सिफारिस   | १०००    |
| २१    | घर पातल प्रमाणित  | ५००     |
| २२    | नयाँ व्यावसाय दर्ता सिफारिस                             | ५००     |
| २३    | विद्युत नामसारी/धारा नामसारी सिफारिस                    | ३००     |
| २४    | पक्की घर निर्माणको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस          | १५००    |
| २५    | कच्ची घर बनाउनको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस            | १०००    |
| २६    | अंग्रेजीमा गरिने सबै सिफारिस                            | ५००     |
| २७    | बाटो प्रमाणित सिफारिश                                   | २००     |
| २८    | संस्था दर्ता दस्तुर                                     | १०००    |
| २९    | धाराजडान सिफारिश  | २००.०   |
| ३०    | दलित जनजाती सिफारिश                                     | १००     |
| ३१    | चारित्रिक सिफारिश दस्तुर                                | ५००.०   |
| ३२    | जग्गा धनिदर्ता प्रमाण-पूर्जाको प्रतिलिपि सिफारिश दस्तुर | ५००.०   |
| ३३    | अन्य सिफारिश  | ३००.०   |
| ३४    | संस्था नविकरण सिफारीस                                   | ५००     |
| ३५    | घरबाटो सिफारिस  | ३००     |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| ३६ | एफएम रेडियो दर्ता शुल्क                                   | ५०००              |
| ३७ | एफएम रेडियो नविकरण शुल्क                                  | २०००              |
| ३८ | व्यवसाय बन्द सेवा शुल्क                                   | ५००               |
| ३९ | सहकारी दर्ता दस्तुर                                       | २०००              |
| ४० | संस्था नविकरण विलम्ब शुल्क म्याद नाघेको प्रति वर्षको लागि | २० प्रतिशतको दरले |

निजी बोर्डिङ्ग स्कुल स्थापना र स्तरवृद्धि सिफारिस :

| सि.न. | विवरण                  | रकम     |
|-------|------------------------|---------|
| १     | मण्टेश्वरी             | १०००१-  |
| २     | आधारभूत वि. १-५ सम्मको | ३०००१-  |
| ३     | आधारभूत वि. ६-८ सम्मको | ७०००१-  |
| ४     | मा.वि. ९-१० सम्मको     | १००००१- |
| ५     | मा.वि. ११-१२ सम्मको    | १५०००१- |

सामुदायिक स्कुल स्थापना र स्तरवृद्धि सिफारिस

| सि.न. | विवरण                  | रकम    |
|-------|------------------------|--------|
| १     | शिशु कक्षा सञ्चालन     | ३००१-  |
| २     | आधारभूत वि. १-५ सम्मको | ७००१-  |
| ३     | आधारभूत वि. ६-८ सम्मको | १०००१- |
| ४     | मा.वि. ९-१० सम्मको     | १५००१- |
| ५     | मा.वि. ११-१२ सम्मको    | २०००१- |

विद्यालय ठाउसारी गर्ने सिफारिस

| सि.न. | विवरण              | रकम    |
|-------|--------------------|--------|
| १     | निजि विद्यालय      | ५०००१- |
| २     | सामुदायिक विद्यालय | २०००१- |

घ वर्गको ठेक्का पट्टामा

| सि.न. | विवरण  | रकम     |
|-------|--|---------|
| १     | घ वर्गको इजाजत पत्र दस्तुर   | २००००१- |
| २     | ठेक्का पट्टा नामसारी र निर्माण सेवालार्इ प्रा.लि.परिवर्तन                                    | १००००१- |
| ३     | घ वर्गको इजाजत नविकरण अवधि समाप्त भएको ३ महिना आश्विन मशान्त भित्र नविकरण गर्दा              | ६०००१-  |
| ४     | घ वर्गको इजाजत नविकरण म्याद नागेको ६ महिना चैत्र मशान्त भित्र नविकरण गर्दा डवल दस्तुर लाग्ने | १२०००१- |

अनुसुची-१५

(दफा १७ सँग सम्बन्धित)

घर कर :-

| सि.न.  | विवरण   | रकम   |
|--|---|-------|
| सल्ली चौरजहारी सडक र थारमारे चौरजहारी सडक छेउका घरमा |   |       |
| १  | कच्ची घर एकतला घरको                           | ५०१-  |
| २  | कच्ची घर प्रति तला थप                         | ५०१-  |
| ३  | दुङ्गा,जस्ता पाताको छाना भएको घर              | १५०१- |
| ४  | दुङ्गा,जस्ता पाताको छाना भएको घर प्रति तला थप | ५०१-  |
| ५  | पक्की घर ४ कोठा सम्म भएको                     | ३५०१- |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| ६  | पक्की घर ५ देखि ८ कोठा सम्म भएका               | ५००१  |
| ७  | पक्की घर ९ देखी बढी कोठा भएका                  | ८००१- |
| सल्ली चौरजहारी सडक र थारमारे चौरजहारी सडक छेउका घर बाहेक अन्यत्रकोमा |  |       |
| १  | कच्ची घर एकतला घरको                            | ५०१-  |
| २  | कच्ची घर प्रति तला थप                          | ५०१-  |
| ३  | ढुङ्गा, जस्ता पाताको छाना भएको घर              | १००१- |
| ४  | ढुङ्गा, जस्ता पाताको छाना भएको घर प्रति तला थप | ५०१-  |
| ५  | पक्की घर ४ कोठा सम्म भएको                      | २५०१- |
| ६  | पक्की घर ५ देखि ८ कोठा सम्म भएका               | ४००१  |
| ७  | पक्की घर ९ देखी बढी कोठा भएका                  | ५००१- |

भूमि कर (मालपोत) :-

पाखोतर्फ प्रति रोपनि

| सि.न. | विवरण | दर | कैफियत   |
|-------|-------|----|--|
| १     | अब्बल | ८  | बक्यौता प्रति वर्ष १० प्रतिशतको दरले लाग्नेछ । |
| २     | दोयम  | ६  |  |
| ३     | सिम   | ४  |  |
| ४     | चार   | २  |  |

खेततर्फ प्रति रोपनि

| सि.न. | विवरण | दर | कैफियत   |
|-------|-------|----|--|
| १     | अब्बल | २० | बक्यौता प्रति वर्ष १० प्रतिशतको दरले लाग्नेछ । |
| २     | दोयम  | १५ |  |
| ३     | सिम   | १० |  |
| ४     | चार   | ५  |  |

अनुसूची-१६

(दफा १८ संग सम्बन्धित)

अन्य विविध आय

| सि.न. | विवरण  | रकम        |
|-------|--|------------|
| १     | टिकट दस्तुर  | १०१-       |
| २     | नगदी/एकीकृत सम्पति कर रसिदको प्रतिलिपि वापत                          | ५०१-       |
| ३     | नक्सापास निवेदन फाराम विक्री   | १०००१-     |
| ४     | टेण्डर फाराम/ दरभाउ पत्र विक्री                                      | नियमानुसार |
| ५     | सर्जमिन मुचुल्का -नागरिकता बाहेक) जुनसुकैमा                          | २००१-      |
| ६     | कन्सुलर प्रमाणित शुल्क   | २५०१-      |
| ७     | राजपत्र दस्तुर प्रति पानाको  | ११-        |
| ८     | समूह दर्ता प्रमाण-पत्र दस्तुर  | ५००१-      |
| ९     | कृषि संग सम्बन्धित समूह / फर्म सूचिकृत दस्तुर                        | ३००१-      |
| १०    | ऐलानी जग्गा अभिलेखीकरण दस्तुर प्रतिकट्टा                             | ५००१-      |
| ११    | गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्दा बालविकास परिक्षा दस्तुर           | ५००१-      |
| १२    | गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्दा आधारभूत तह परिक्षा दस्तुर         | १०००१-     |
| १३    | गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्दा निम्न माध्यामिक तह परिक्षा दस्तुर | १५००१-     |
| १४    | गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्दा माध्यामिक तह परिक्षा दस्तुर       | २०००१-     |
| १५    | ग्रेडसिट प्रतिलिपि दस्तुर  | २००१-      |

अनुसुची-१७  
(दफा १९ सँग सम्बन्धित)  
गा.पा.बाट हुने निशुल्क सिफारिसहरु

| सि.न. | विवरण   | रकम      |
|-------|---|----------|
| १     | दैवि प्रकोप सम्बन्धी  | नि शुल्क |
| २     | विपन्न / असहाय  | नि शुल्क |
| ३     | छात्रवृत्ति सिफारिस   | नि शुल्क |
| ४     | सामाजिक सुरक्षा जेष्ठनागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, एकल वा असहाय, लोपोन्मुख / सीमान्तकृत, अपाङ्ग, दलित बालबालिका परिचय पत्र वितरण | नि शुल्क |
| ५     | पुनःनिर्माण / प्रबलिकरण   | नि शुल्क |
| ६     | स्वास्थ्य बीमा / औषधोपचार   | नि शुल्क |
| ७     | उपभोक्ताहरुको खाता सञ्चालन / बन्द   | नि शुल्क |
| ८     | आर्थिक सहायता सिफारिस   | नि शुल्क |